अपराध पंजीकरण, अन्वेषण, नतीजा प्रस्तुत करने के संबंध में

Content समय : 90 min

1. संज्ञेय अपराध की सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के सम्बन्ध में– परिपत्र 2647–2724 दिनांक– 31.01.2019
2. पुलिस थानों की कार्य प्रणाली के बारें में प्राप्त शिकायतों के परीक्षण हेतु डिकॉय आपरेशन एवं अन्य उपायों के संबंध में, क्रमांक 214–64 दिनांक 11.01.2019
3. अपराधिक प्रकरणों में पहचान–पत्र लिए जाने के संबंध में– स्थाई आदेश 4/2019 क्रमांक 3166–3241 दिनांक–07.02.2019
4. प्रकरणों का अन्वेषण, न्यायालय में चालान का प्रस्तुतिकरण एवं अग्रिम अनुसंधान, क्रमांक 2787–847 दिनांक 27.02.2019
5. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में दिनांक 27.01.2019 को सम्पन्न चर्चा, क्रमांक 3854–3929 दिनांक 13.02.2019

स्टेट क्राईम [illegible] ब्यूरो
4/2/19

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान

क्र.सं. [illegible]/CB/PRC/परिपत्र/2019/2647-2724 दि. 31.01.2019

समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं
समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण मय जी.आर.पी., राजस्थान पुलिस।

विषय: संज्ञेय अपराध की सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के सम्बन्ध में।

संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस के लिए विधि की अपेक्षा के साथ-साथ एक मौलिक कर्त्तव्य भी है। किसी भी परिवादी के द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दिए जाने पर उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) तत्काल दर्ज होने से उसके मन में पुलिस की संवेदनशीलता एवं कार्यकुशलता की छवि प्रतिबिंबित होती है। वहीं इस कार्य में पुलिस द्वारा देरी, टालमटोल या असंगत प्रतिक्रिया देने पर परिवादी की पीड़ा और बढ़ जाती है तथा विधिक प्रक्रिया प्रारंभ होने में देरी से इसका अनुचित लाभ आरोपी को मिलता है। ऐसे उदाहरण संज्ञान में आए हैं जिनमें पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर प्र.सू.रि. पंजीबद्ध कर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा इस सम्बन्ध में सत्यापन कर वास्तविकता जानने का प्रयास किया जिसमें कुल 2 स्थानों पर ही नियमनुसार तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध होने की पुष्टि हुई। सतर्कता शाखा की कार्रवाई में पुलिसकर्मियों की व्यवहारकुशलता में भी कमी परिलक्षित हुई। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

आम जन को त्वरित पुलिस सेवाएँ प्रदान करने में तथा किसी भी पीड़ित की समस्या का विधिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए उचित निदान करने में सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण कदम उसके परिवाद का पंजीकरण है। पुलिस थाना एक ऐसा स्थान है जिसके सम्बन्ध में यह अपेक्षा की जाती है कि यहाँ किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का व्यक्ति, किसी भी समय, बिना किसी भय या संकोच के जा सकता है तथा अपनी समस्या मौखिक या लिखित रूप से बता सकता है और ऐसा करने पर विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करते हुए उसे आवश्यक पुलिस सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यदि हम इस ओर संवेदनशील एवं सतर्क नहीं हैं तो हम आम-जन का विश्वास अर्जित नहीं कर सकते और अपराध-मुक्त समाज के निर्माण में जनता की सहभागिता प्राप्त नहीं कर सकते।

781
5/2/19